इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 8 अंक सं. :5 दिसम्बर 2015 पृष्ठों की सं 18

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मौद्रिक नीति ----------2
मुख्य घटनाएं ---------- 2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------3
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------4
बीमा ----------8
अर्थव्यवस्था ---------- 9
नयी नियुक्तिया ----------10
उत्पाद एवं गठजोड ---------- 10
विदेशी मुद्रा ----------11
शब्दावली ---------- ---------- ---- 12
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ---------- 12
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां---------- 13
संस्थान समाचार----------13
बाज़ार की खबरें---------- 16

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

5वां द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य

- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीतिगत पुनर्खरीद (repo) दर 6.75% पर अपरिवर्तित।
- अनुसूचित बैंकों का आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के 4.0% पर अपरिवर्तित।
- बैंक-वार निवल मांग एवं सावधि देयताओं के 0.25 प्रतिशत पर एक-दिवसीय पुनर्खरीद के तहत चलनिधि समायोजन सुविधा की पुनर्खरीद दर पर तथा 14 दिवसीय मीयादी पुनर्खरीद दर और उसके साथ ही बैंकिंग प्रणाली की निवल मांग एवं सावधि देयताओं के 0.75 प्रतिशत तक की अपेक्षाकृत लम्बी अवधियों के लिए नीलामियों के माध्यम से चलनिधि प्रदान करने का क्रम जारी रखा जाएगा।
- चलनिधि को सहज बनाने हेतु दैनिक रूप से परिवर्ती दर वाली पुनर्खरीदों और प्रति-पुनर्खरीदों (reverse repos) को जारी रखा जाएगा।

फलत: चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत प्रति-पुनर्खरीद दर 5.75 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर तथा बैंक दर 7.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेगी।

मुख्य घटनाएं

अनिवासी भारतीय पेंशन निधि में अभिदान कर सकते हैं

विदेशों में रहने वाले वृद्धावस्था प्राप्त भारतीयों को आयमूलक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, 1999 के तहत अनिवासी भारतीयों को एक निवेश के एक विकल्प के रूप में राष्ट्रीय पेंशन योजना में अभिदान करने की अनुमति प्रदान कर दी है। अनिवासी भारतीय राष्ट्रीय पेंशन योजना में अभिदान कर सकते हैं, बशर्ते इसप्रकार के अभिदान सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किए जाएं और व्यक्ति पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निवेश करने का पात्र हो।

प्रधान मंत्री ने स्वर्ण मुद्रीकरण, सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना और इंडिया गोल्ड क्वाइंस की शुरुआत की

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना और इंडिया गोल्ड क्वाइंस की औपचारिक शुरुआत कर दी है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि देश में उपलब्ध सोने को उत्पादक उपयोग में लाया जाना चाहिए और ये योजनाएं इस ध्येय की प्राप्ति का मार्ग दिखाती हैं। उन्होंने कहा कि सोना महिला सशक्तिकरण का एक महान साधन हो सकता है तथा यह कि वे नयी योजनाओं का सर्वाधिक लाभ उठा सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन योजनाओं की सफलता के पीओछे निहित कारण भारत की महिलाएं होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्वर्ण बॉण्ड भौतिक सोने से अधिक लाभदायक होंगे। श्री नरेंद्र मोदी ने अशोक चक्र वाले इंडिया गोल्ड क्वाइंस को राष्ट्र के लिए गर्व का विषय बताया। उन्होंने कहा कि अब लोगों को विदेशों में ढाली गई /ढाले गए सोने की ईंटों या सिक्कों पर नहीं निर्भर रहना होगा।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वर्ण बॉण्डों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश जारी किए

अब वाणिज्यिक बैंकों और डाकघरों को सॉवरेन गोल्ड बॉण्डों का अभिदान रिकार्ड रखने की एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी उठानी होगी, क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने उनके लिए कुछेक परिचालनात्म कार्यविधियां अनिवार्य कर दी हैं। प्राप्तकर्ता कार्यालयों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे इन बॉण्डों के परिपक्व और उनकी चुकौती किए जाने तक आवेदनों को परिरक्षित रखें। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक उनकी ओर से आवेदन प्राप्त करने हेतु गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों (NSCs) के एजेन्टों और अन्यों को नियुक्त कर सकते हैं। प्राप्तकर्ता कार्यालय अर्थात् अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं तथा नामित डाकघर ग्राहकों को धारित करेंगे तथा इस बॉण्ड के सम्बन्ध में आवश्यक सेवाएं प्रदान करेंगे।

विदेशी मुद्रा उधारों को प्रतिरक्षित करने हेतु निवासियों को सुविधाओं में छूट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दीर्घावधिक विदेशी मुद्रा देयताएं रखने वाले निवासियों को कुछेक शर्तों पर ऐसी बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं अथवा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं (MFI/IFI) के साथ विदेशी मुद्रा रुपया अदला-बदली (swaps) संविदा करने की अनुमति प्रदान कर दी हैं जिनमें भारत सरकार एक शेयरधारक सदस्य हो। बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं अथवा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा इसप्रकार की अदला-बदलियां भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I वाले बैंक के साथ दुतरफा (back-to-back) आधार पर की जा सकती हैं। इन अदला-बदलियों की अवधि कम से कम तीन वर्ष होगी।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के नये लक्ष्य

इस वर्ष कम बरसात की पृष्ठभूमि में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए औसत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के लक्ष्य को इस वर्ष जुलाई में वित्त वर्ष 15 के लिए निर्धारित 13.5% से घटाकर 11.5% कर दिया है। यह लक्ष्य गैर-कारपोरेट किसानों को समग्र प्रत्यक्ष उधार में पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियों का प्रणाली-व्यापी औसत होता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने लेनदारी लेखा क्रय सेवा (फैक्टरिंग) व्यवसाय के लिए मूल्य निर्धारित करने की अनुमति दी

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति लिए बिना लेनदारी लेखा क्रय सेवा व्यसाय विभागीय स्तर पर कुछेक शर्तों के अधीन कर सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सलाह दी है कि लेनदारी लेखा क्रय सेवाएं प्रदान करने वाले बैंक उधारकर्ता की ऋणपात्रता, उनके द्वारा बरती जाने वाली कर्तव्यपरायणता तथा अन्य वाणिज्यिक विचारों/उद्देश्यों के स्वयं अपने मूल्यांकन के आधार पर प्रारंभिक तौर पर भुगतान किए जाने वाले बीजक के प्रतिशत का निर्धारण अपने आप कर सकते हैं।

विदेशी बैंक अब प्रत्येक शाखा में चार निर्वासित परिनियोजित कर सकते हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी बैंकों के समक्ष भारत में व्यवसाय करने में उपस्थित होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा निर्वासित व्यक्तियों (expats) की नियुक्ति किए जाने के सम्बन्ध में संख्यात्मक प्रतिबंधों को शिथिल कर दिया है। अब कोई विदेशी बैंक भारत में खोली गई प्रत्येक शाखा में अधिकतम चार निर्वासितों और उसके प्रधान कार्यालय के कार्यों में छ: से अनधिक निर्वासितों को परिनियोजत कर सकता है। प्रशिक्षु अधिकारियों की तैनाती और भारतीय शाखाओं में निर्वासितों द्वारा विप्रेषण सुविधाओं के सम्बन्ध में अन्य अनुदेश अपरिवर्तित हैं।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

रुपये में मूल्यवर्गित अपतटीय बॉण्डों के ब्याज पर 5% का रोध कर लागू होगा

वित्त मंत्रत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय कम्पनियों के रुपये में मूल्यवर्गित अपतटीय बॉण्डों की ब्याजगत आय पर 5% का रोध (withholding) कर लागू होगा। अनिवासी निवेशकों के मामले में अंतिम कर के स्वरूप वाला 5% की दर से रोध कर ठीक उसी प्रकार लागू होगा जैसा कि वह अपतटीय डालर में मूल्यवर्गित बॉण्डों में लागू होता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋणदाताओं को सरकारी बॉण्डों की मंदड़िया बिक्री करने की अनुमति दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों (अथवा अभिरक्षकों) को सरकारी बॉण्ड बाज़ार में उन प्राथमिक सदस्यों या वैयक्तिक बैंक ग्राहकों, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के पास निक्षेपागार के प्रकार वाले खाते रखने वाले ऋणदाताओं के जरिये निवेश करते हैं, को मंदड़िया बिक्री करने की अनुमति प्रदान की है। इस मुहिम का उद्देश्य खुदरा सहभागिता को आकर्षित करना है। कोई अभिरक्षक उसके सामान्य खाता धारक (GAH) के साथ अनुमेय मंदड़िया बिक्री सीमाओ के भीतर मंदड़िया बिक्री लेनदेन कर सकता है। अभिरक्षक उपने सामान्य खाता धारकों को छोड़कर बाज़ार के किसी सहभागी के साथ किए गए सम्बन्धित प्रतिभूति के मंदड़िया बिक्री लेनदेन को सम-स्थिति में लाने के लिए रक्षात्मक लेनदेन कर सकता है।

सॉवरेन गोल्ड बॉण्डों का निर्गम मूल्य प्रति ग्राम 2,684 रुपये

भारत सरकार ने यह घोषणा की है कि सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड अभिदान के लिए खुला रहेगा। इस श्रृंखला वाले सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड का निर्गम मूल्य प्रति ग्राम सोने के लिए 2,684 रुपये (दो हजार छ: सौ चौरासी रुपये) निर्धारित किया गया है। यह दर भारतीय बुलियन और जौहरी संघ लिमिटेड (IBIA) द्वारा प्रकाशित पिछले सप्ताह (26-30 अक्तूबर, 2015) के 999 शुद्धता वाले सोने के अंतिम मूल्य के साधारण औसत पर निर्धारित की गई है।

'दिवाला विनियामक गठित' करें : डॉ. टी. के. विश्वनाथन समिति

डॉ. टी.के. विश्वनाथन की अध्यक्षता में गठित दिवाला विधि सुधार से सम्बन्धित समिति ने ऋण चुकाने में असमर्थ कम आय वाले व्यक्तियों के लिए एक सरल निर्गम मार्ग प्रस्तावित किया है। 'दिवाला और दिवालियापन विधेयक' नामक इस व्यापक मसौदे में वैयक्तिक दिवालियेपन से निपटने के लिए दो भिन्न-भिन्न प्रक्रियाओं - नव-प्रवर्तित एवं दिवाला निवारण- की परिकल्पना की गई है। नव-प्रवर्तित प्रक्रिया में निर्धारित न्यूनतम सीमाओं (सकल वार्षिक आय 60,000 रुपये से अनधिक तथा आस्तियों का कुल मूल्य 20,000 रुपये से अनधिक) से कम आय और आस्तियों वाले व्यक्ति उन्हें अर्हक ऋणों से उन्मोचित किए जाने हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। दिवाला निवारण की इस प्रक्रिया में देनदार के ऋणों और मामलों के विन्यास के लिए लेनदार और देनदार एक निवारण व्यावसायिक के पर्यवेक्षण में एक सहमतियोग्य चुकौती योजना का निर्धारण करने हेतु बातचीत करेंगे। उक्त समिति ने दिवाला व्यावसायिकों, दिवाला व्यावसायिक एजेन्सियों तथा सूचनात्मक उपयोगिताओं पर विनियामक निगरानी रखने हेतु एक दिवाला विनियामक की स्थापना भी प्रस्तावित की है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालन इकाइयों (BBPOUs) को प्राधिकृत करने के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि पूर्ववर्ती 20 नवम्बर 2015 से बढ़ा कर 18

दिसम्बर, 2015 कर दी है। वर्तमान में भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) की वर्तमान परिधि में आने वाली बिल भुगतान गतिविधियों में संलग्न बैंक और बैंकेतर संस्थाएं इसमें भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालन इकाइयों अथवा भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालन इकाइयों के प्राधिकृत एजेन्टों के रूप में सहभागिता कर सकते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयरों के अभिग्रहण के लिए पूर्वानुमोदन प्राप्त करने हेतु निर्देश जारी किए

निजी क्षेत्र के बैंक में शेयर अथवा अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर / बॉण्ड अथवा मताधिकार वाले शेयर अभिगृहीत करने अथवा 5% या उससे अधिक के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों/बॉण्डों को परिवर्तित करने के इच्छुक किसी व्यक्ति को भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के लिए उसके (भारतीय रिज़र्व बैंक के) पास आवेदन करना होगा। बड़े शेयरधारकों अर्थात् बैंक की चुकता पूंजी के 5% या उससे अधिक के शेयरधारकों को सम्बन्धित बैंक को उनकी 'योग्य एवं उपयुक्त' स्थिति के सम्बन्ध में एक वार्षिक घोषणापत्र देना होगा और बैंक के मूल्यांकन में किसी शेयरधारक के योग्य एवं उपयुक्त न पाए जाने पर उसे भारतीय रिज़र्व बैंक को आवश्यक सूचना तत्काल प्रस्तुत करनी होगी। आवेदक की ईमानदारी, प्रतिष्ठा और वित्तीय मामलों में पिछला कार्य-निष्पादन रिकार्ड तथा कर कानूनों का अनुपालन योग्य एवं उपयुक्त स्थिति वाले मानदंड का निर्धारण करने की कसौटी होंगे। जहां आवेदक कोई निगमित निकाय हो, वहां निगमित निकाय से जुड़े व्यक्तियों और अन्य संस्थाओं के मूल्यांकन के अलावा, उसके परिचालन से सम्बन्धित पिछले कार्य-निष्पादन रिकार्ड को इस रीति से देखा जाएगा जो अच्छे कारपोरेट अभिशासन, वित्तीय शक्ति तथा ईमानदारी से सुसंगत हो।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इटरनेट सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं

अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) को उनके ग्राहकों को मूलभूत इंटरनेट बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति होगी। यह सुविधा निश्चित रूप से शेषराशि की जानकारी, शेषराशि देखने, काते के विवरण डाउनलोड करने, चेक बुकों की आपूर्ति हेतु अनुरोध आदि जैसी गैर-लेनदेनपरक सेवाओं के लिए ही होगी। किसी प्रकार के ऑनलाइन निधि-आधारित लेनदेन की अनुमति नहीं होगी। इसप्रकार की सुविधाएं प्रदान करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पूंजी की तुलना में जोखिम-भारित आस्तियों का अनुपात (CRAR) निकटस्थ पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के 31 मार्च के दिन आवश्यक रूप से 10% तथा निकटस्थ पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के 31 मार्च के दिन निवल मालियत 100 करोड़ रुपये से कम नहीं और उसे आवश्यक रूप से किसी प्रकार की संचित हानि वाला नहीं होना चाहिए। इसके अतरिक्त, सकल अनर्जक आस्तियां आवश्यक रूप से 7% से कम और निवल अनर्जक आस्तियां 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सार्क सदस्यों के लिए मुद्रा अदला-बदली

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्क के सदस्य देशों के लिए मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था से सम्बन्धित ढांचे में संशोधनों के साथ उसे दो वर्ष की अवधि हेतु 14 नवम्बर, 2017 तक बढ़ाए जाने और उसके बाद यदि आवश्यक हों, तो विस्तार के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस सुविधा के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक प्रत्येक सार्क सदस्य देश (अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्री लंका) को उनकी दो माह की आयात आवश्यकता के आधार पर तथा कुल मिलाकर 2 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक नहीं की भिन्न-भिन्न आकार वाली अदला-बदलियां अमरीकी डालर, यूरो और भारतीय रुपये में प्रदान करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने हवाई जहाज (एअरक्राफ्ट) और हेलीकॉप्टरों के आयात हेतु दिशानिर्देश शिथिल किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि निर्धारित /अनुसूचित या गैर-निर्धारित/गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं (एअर टैक्सी सेवाओं सहित) परिचालित करने हेतु कम्पनी द्वारा वर्तमान विदेश व्यापार नीति के अनुसार हवाई जहाज (एअरक्राफ्ट) और हेलीकॉप्टरों के आयात हेतु केवल नागरिक उड्डयन महानिदेशक (DGCA) का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी निवेशकों को विपद्ग्रस्त बॉण्ड अभिगृहीत करने की अनुमति दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) को ऐसे गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर / बॉण्ड (NCDs/bonds) अभिगृहीत करने की अनुमति दी है जो या तो परिपक्वता पर मूलधन या फिर बॉण्ड परिशोधित किए जाने की स्थिति में मूलधन किस्त की चुकौती में या तो पूर्णत: या फिर आंशिक रूप से चूकग्रस्त हैं। इसप्रकार के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों / बॉण्डों की जारीकर्ता भारतीय कम्पनी के साथ बातचीत/समझौते के आधार पर पुनर्संरचित संशोधित परिपक्वता अवधि तीन वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसप्रकार के चूकग्रस्त गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों / बॉण्डों को अभिगृहीत करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को डिबेंचर न्यासियों को वे जिन मौजूदा डिबेंचर धारकों / लाभकारी स्वामियों से अभिगृहीत कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रस्ताव की शर्तों से अवगत कराना चाहिए। इसप्रकार के निवेश कारपोरेट ऋण के लिए समय-समय पर यथा निर्धारित समग्र सीमा (वर्तमान में 2443.23 बिलियन रुपये) के भीतर होनी चाहिए। विदेशी पोर्टफोलियों निवेशक द्वारा ऋण बाज़ार में निवेश के लिए अन्य सभी मौजूदा शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों - सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लम्बी अवधि वाले ऋणों की उधार सीमाएं बढ़ाकर दोगुनी कीं

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनीं - सूक्ष्म वित्त संस्था ऋणदाता न्यूनतम 24 माह तक की अवधि के लिए

अब 30,000 रुपये तक के ऋण दे सकते हैं, क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन ऋणों की सीमाएं बढ़ाकर दो गुनी कर दी हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह सूचित किया है कि अब तक की प्रथा के अनुसार सभी ऋणों की आवश्यक रूप से समय-पूर्व अदायगी की जानी चाहिए।

बीमा

केवल सुस्थापित विदेशी बीमाकर्ता ही भारत में शाखा कार्यालय खोल सकते हैं

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि केवल वही विदेशी बीमाकर्ता जो 10वर्षों से पुनर्बीमा व्यवसाय में संलग्न हैं, भारत में शाखा कार्यालय खोल सकते हैं। इस शाखा कार्यालय में वरिष्ठ प्रबन्धन के पारिश्रमिक सहित मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य प्रमुख प्रबन्धन कार्मिकों की नियुक्ति के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) की स्वीकृति आवश्यक होगी। आवेदक को एक राष्ट्रीय विनियामक परिवेश में पंजीकृत अतवा प्रमाणित होना चाहिए और उसे भारत सरकार के साथ दोहरे कराधान अपवंचन करार पर हस्ताक्षरित किया हुआ होना चाहिए।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने ई-गाड़ियों और ई- रिक्शों के लिए अन्य पक्ष मोटर बीमा निर्धारित किया

मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2915 ने ई-गाड़ियों और ई-रिक्शों को अपने विषय क्षेत्र / परिधि में ला दिया है। ई-गाड़ियां या ई-रिक्शे 4000 वाट्स से अनधिक के किराये या पुरस्कार हेतु माल या यात्रियों, जैसी भी स्थिति हो, को ढोने के लिए तीन पहियों वाले विशेष उद्देश्य हेतु बैटरी चालित वाहन होते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने ई-गाड़ियों और ई-रिक्शों के लिए अन्य पक्ष मोटर बीमा के लिए प्रीमियम वाहन के प्रकार के आधार पर 1,066 रुपये से 3,257 रुपये तक निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त, किराये पर यात्रियों को ढोने वाले तिपहिया वाहनों को इंजन की क्षमता के आधार पर 702 रुपये और 1615 रुपये के बीच प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

रूपे कार्ड के अधीन वैयक्तिक दुर्घटना रक्षा दावे से सम्बन्धित मानदंड शिथिल किए गए

प्रधान मंत्री जन-धन योजना के तहत खाता धारकों को 1 लाख रुपये की अन्तर्निहित दुर्घटना बीमा रक्षा सहित रूपे डेबिट कार्ड भी प्रदान किए जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने रूपे क्लासिक कार्ड धारकों के लिए 45 दिनों की उपयोग अवधि वाली शर्त को 25 नवम्बर, 2015 से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया है। प्रधान मंत्री जन-धन योजना के तहत रूपे डेबिट कार्डों के अधीन

दुर्घटनात्मक बीमा के तहत किए गए 697 दावों में से 30 नवम्बर, 2015 के दिन 644 दावों का निपटारा कर दिया गया है।

अर्थव्यवस्था

विश्व बैंक ने 2015 के लिए भारत की वृद्धि के पूर्वानुमान को 7.5% पर कायम रखा

ऐसे प्रतिकूल बाहरी वातावरण, जिसने देश की व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात को प्रभावित किया है, के बावजूद विश्व बैंक ने वर्तमान वर्ष के लिए भारत के बारे में अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि के पूर्वानुमान को 7.5% पर कायम रखा है। वित्त वर्ष 17 में भारत की वृद्धि के क्रमिक रूप से बढ़कर 7.8% और वित्त वर्ष 18 में 7.9% रहने की आशा है। देश की अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 15 में 7.3% की तथा वित्त वर्ष 16 की 1ली तिमाही में 7% की वृद्धि दर्ज हुई।

बाहरी जोखिमों से निपटने के लिए तैयार : वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक वित्तीय बाज़ार में अस्थिरता के कारण पैदा होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) ने बैंकों की बढ़ती अनर्जक आस्तियों, कारपोरेट क्षेत्र के तुलनपत्र पर दबावों तथा बॉण्ड बाज़ार पर पड़ने वाले उनके प्रभावों पर भी विचार-विमर्श किया है। वित्तीय बाज़ारों में उच्च अस्थिरता उभरते बाज़ार वाली अर्थव्यवस्थाओं को धमकाने वाला एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण जोखिम है। हालांकि, आज भारत अपने स्थूल-आर्थिक बुनियादी तत्वों में सुधार और विदेशी मुद्रा की भारी प्रारक्षित निधियों, जो वित्तीय बाज़ार की अस्थिरता के समक्ष सहारा (कुशन) उपलब्ध कराती हैं, की पृष्ठभूमि में काफी बेहतर स्थिति में है।

डीआईपीपी ने 15 क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में छूट की सूचना दी

सरकार ने 15 क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों को उदारीकृत बनाने के लिए उपायों की सूचना दी है, जिनकी घोषणा वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने की। इन उपायों में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) द्वारा अनुमोदन के लिए न्यूनतम सीमा को 3,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपये किए जाने का समावेश है। इन क्षेत्रों में रक्षा, निर्माण विकास, प्रसारण, नागरिक उड्डयन, कृषि, बागबानी, सीमित देयता भागीदारी, विनिर्माण, एकल ब्रॉण्ड खुदरा, निजी क्षेत्र वाली बैंकिंग शामिल हैं।

नयी नियुक्तियां

नाम	पदनाम / संगठन
डॉ. रघुराम राजन	उपाध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक
श्री पी.के.गुप्ता	प्रबन्ध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक
श्री रवि किशन टक्कर	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूको बैंक
सुश्री शालिनी वारियर	मुख्य परिचालन अधिकारी, फेडरल बैंक
सुश्री ज़रीन दारूवाला	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (भारत)
श्री जेम्स मैकमुर्डो	प्रमुख, कारपोरेट एवं निवेश, बैंक फार एशिया पैसिफिक, ड्यूश बैंक
मुकुंद लक्ष्मण अभ्यंकर	ग्रुप, चेयरमैन, दि कॉसमॉस सहकारी बैंक लिमिटेड
श्री मिलिंद अनंत काले	अध्यक्ष, दि कॉसमॉस सहकारी बैंक लिमिटेड

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य
भारतीय स्टेट बैंक	अमीरात एनबीडी	खाड़ी मे स्थित अनिवासी भारतीय ग्राहकों की तुरंत और अधिक सुविधाजनक रीति से विप्रेषण करने मे सहायता करने के लिए।
येस बैंक	लंदन स्टॉक एक्सचेंज	हरित आधारभूत सुविधा वित्त पर संकेन्द्रण के साथ बॉण्ड और इक्विटी जारी करने के लिए।
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	यू.के. सरकार	भारत के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड चीवेनिंग वित्तीय सेवाएं , लीडरशिप कार्यक्रम सृजित करने के लिए।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए ऑनलाइन शुल्क वसूली के लिए।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	होंडा मोटरसाइकल एण्ड स्कूटर्स इंडिया	उसके ग्राहकों को वित्त का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए।
डीसीबी बैंक	टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज	खुदरा ऋण प्रदान करने के लिए।
ऐक्सिस बैंक	विस्तारा	सह-ब्रॉण्डयुक्त क्रेडिट कार्ड आरंभ करने के लिए।
फेडरल बैंक	एडेल्विस इटीग्रेटेड कमोडिटी मैनेजमेंट लिमिटेड	वस्तु वित्तीयन में संपार्श्विक प्रबन्धन उपलब्ध कराने के लिए।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	महाराष्ट्र शासन	करों एवं प्राप्तियों की वसूली के लिए।
आरबीएल बैंक	ऑक्सीजन सर्विसेज (इंडिया)	ऐसे ऑक्सीजन थैले मैप करने जो उसके खुदरा केन्द्रों को आरबीएल के बैंकिंग संपर्कियों के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाएंगे।
लक्ष्मी विलास बैंक	एसबीआई कार्ड एण्ड सिग्ना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस	उसके ग्राहकों को अधिक व्यापक श्रेणी वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए।

विदेशी मुद्रा

दिसम्बर, 2015 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की न्यूनतम दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.69500	1.00480	1.26300	1.45200	1.58870
जीबीपी	0.65690	0.9464	1.1174	1.2701	1.4018
यूरो	-0.08850	- 0.108	-0.055	0.048	0.177
जापानी येन	0.12500	0.116	-0.118	0.139	0.178
कनाडाई डालर	0.89000	0.901	0.994	1.100	1.226
आस्ट्रेलियाई डालर	2.18900	2.189	2.249	2.470	2.579
स्विस फ्रैंक	-0.86750	-0.910	-0.854	-0.727	-0.587
डैनिश क्रोन	0.07000	0.1240	0.2170	0.3380	0.4880
न्यूजीलैंड डालर	2.72000	2.740	2. 820	2.940	3.070
स्वीडिश क्रोन	-0.37600	-0.268	-0.049	0.190	0.445
सिंगापुर डालर	1.62000	1.885	2.120	2.280	2.410
हांगकांग डालर	0.73000	0.990	1.270	1.410	1.530
म्यामार	3.86000	3.900	3.950	4.010	4.080

स्रोत : www.fedai.0rg.in

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	**27 नवम्बर, 2015 के दिन**	**27 नवम्बर, 2015 के दिन**

	बिलियन् रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2
कुल प्रारक्षित निधियां	23, 326.,9	3,51, 615..4
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	21, 757.0	3,27, 669.1
ख) सोना	1,219, 1	18, 691. 8
ग) विशेष आहरण अधिकार	264, 9	3, 968. 1
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	85.9	1, 286.5

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

शब्दावली

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं (IFIs) वे संस्थाएं होती हैं जिनकी स्थापना (अथवा अधिकार पत्र की प्राप्ति) एक से अधिक देश द्वारा की गई होती है और इसलिए वे अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अधीन होती हैं। उनके स्वामी अथवा शेयरधारक सामान्यतया राष्ट्रीय सरकारें होती हैं, यद्यपि अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और अन्य संगठन कभी-कभार शेयरधारकों के रूप में दिखाई देते हैं।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

व्युत्पन्नी (Derivative)

व्युत्पन्नी लिखत अपना मूल्य एक अन्तर्निहित उत्पाद से प्राप्त करता है। व्युत्पन्नी मूलत: तीन प्रकार के होते हैं:

(क) वायदा संविदा - वायदा संविदा दो पक्षों के बीच एक सहमत भावी तिथि को सुपुर्दगी के लिए किसी वस्तु या वित्तीय लिखत को एक सहमत मात्रा में एक सहमत कीमत पर खरीदने या बेचने का एक करार होती है। भावी संविदा एक किसी शेयर बाज़ार में निष्पादित शेयर बाज़ार में क्रय-विक्रय किए जाने योग्य एक मानकीकृत संविदा होती है। भावी संविदा के विपरीत वायदा संविदा अंतरणीय या शेयर बाज़ार में क्रय-विक्रय योग्य नहीं होती, इसकी शर्तें मानकीकृत नहीं होतीं तथा किसी प्रकार के मार्जिन का आदान-प्रदान नहीं किया जाता। वायदा संविदा के क्रेता को संविदा में अधिक्रय (long) वाली स्थिति में कहा जाता है तथा विक्रेता को संविदा में अधिविक्रय (short) वाली स्थिति में कहा □ाता है।

(ख) विकल्प - विल्प एक ऐसी संविदा होता है जो क्रेता को एक सहमत तिथि (समापन या निपटान तिथि) को या उसके पहले कोई आस्ति, वस्तु, मुद्रा या वित्तीय लिखत एक सहमत दर (तय कीमत) पर खरीदने का (क्रय विकल्प) अधिकार प्रदान करता है किन्तु बेचने (विक्रय विकल्प) की बाध्यता नहीं अधिरोपित करता। क्रेता विक्रेता को इस अधिकार के बदले प्रीमियम कही जाने वाली रकम का भुगतान करता है। यह प्रीमियम विकल्प की कीमत होती है।

(ग) अदला-बदली (swaps) - अदला-बदली भावी नकदी प्रवाह का पूर्व-निर्धारित अंतरालों पर विनिमय करने का एक करार होता है। विशिष्ट रूप से एक नकदी प्रवाह परिवर्ती कीमत पर तथा दूसरा निर्धारित कीमत पर आधारित होता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जनवरी, 2016 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रमों के नाम	तिथियां	स्थल
1	प्रमाणित बैंकिंग अनुपालन व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत प्रशिक्षण कार्यक्रम	4 से 8 जनवरी, 2016	चेन्नै
2	प्रमाणित बैंकिंग अनुपालन व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत प्रशिक्षण कार्यक्रम	11 से 15 जनवरी, 2016	मुंबई
3	प्रमाणित ऋण अधिकारियों के लिए परीक्षोपरांत प्रशिक्षण कार्यक्रम	11 से 15 जनवरी, 2016	मुंबई
4	धन-शोधन निवारण और अपने ग्राहक को जानिए पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	18 से 20 जनवरी, 2016	मुंबई

संस्थान समाचार

आईआईबीएफ का ऐंड्रोइड मोबाइल एप

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस के ऐंड्रोइड मोबाइल एप की शुरुआत हाल ही में आईआईबीएफ के उपाध्यक्ष और देना बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री अश्वनी कुमार द्वारा की गई। यह अनुप्रयोग डाउनलोड के लिए गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस अनुप्रयोग को डाउनलोड करने के बाद प्रयोक्ता के लिए इसे आरंभ करवाने हेतु मूलभूत सूचना (सदस्य का नाम, ई-मेल और मोबाइल नम्बर) प्रदान करना जरूरी होता है। इस अनुप्रयोग का उपयोग करते हुए अभ्यर्थी / सदस्य संस्थान, सदस्यता, परीक्षाओं, प्रशिक्षण, पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के बारे में सूचना प्राप्त करने में समर्थ होगा।

आईआईबीएफ द्वारा सोशल मीडिया में प्रवेश

संस्थान ने अपने सदस्यों और अन्यों तक अपनी पहुंच बढ़ाने हेतु यूट्यूब और फेसबुक नामक सोशल मीडिया पृष्ठों की शुरुआत की है। यह कदम बैंकिंग एवं फाइनैंस में संस्थान के पाठ्यक्रमों को प्रासंगिक एवं अद्यतन बनाने के लिए उनसे सूचनाएं /. प्रति-सूचना प्राप्त करने में उसकी सहायता करेगा।

ताइवान के बैंकरों ने आईआईबीएफ का दौरा किया

ताइवान के 34 प्रतिष्ठित बैंकरो के एक शिष्टमंडल ने भारत में उनके अध्ययन दौरे के एक अंग के रूप में 2 दिसम्बर, 2015 को इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस का दौरा किया। उनके दौरे के दौरान उनके समक्ष आईआईबीएफ की भूमिका और उसकी गतिविधियों तथा भारत में वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति और देश में ई-बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग के विविध रूपों के भी सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण किए गए।

वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए 5वां बैंक कार्यपालक कार्यक्रम (BEP)

राष्ट्रीय बैंक प्रबन्धन संस्थान (NIBM), बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान (IDRBT) तथा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस (IIBF) द्वारा बैंक कार्यपालक कार्यक्रम संयुक्त रूप से तैयार एवं आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बैंक कार्यपालकों को उभरते वैश्विक स्तर पर स्पर्धात्मक बाजडार में सफल होने के लिए उपयुक्त कौशलों से सुसज्जित करना है। वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए 5वें बैंक कार्यपालक कार्यक्रम का आयोजन 16 से 21 नवम्बर, 2015 तक लीडरशिप सेंटर, इंडियन इंस्टिटयूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस, कारपोरेट कार्यालय, मुंबई में किया गया।

महा प्रबन्धक (मानव संसाधन प्रमुखों) की बैठक, 2015

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस (IIBF), बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान (IDRBT) तथा राष्ट्रीय बैंक प्रबन्धन संस्थान (NIBM) द्वारा महा प्रबन्धकों (मानव संसाधन / प्रशिक्षण प्रमुखों) की बैठक का आयोजन 24 नवम्बर, 2015 को संयुक्त रूप से किया गया। उक्त बैठक में विविध पाठ्यक्रमों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बैंक व्यावसायिकों के कौशल बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने हेतु काफी बड़ी संख्या में महा प्रबन्धक / मानव संसाधन/ प्रशिक्षण प्रमुख उपस्थित रहे।

सेवा कर की नयी दर 14% + 0.5% (स्वच्छ भारत उप-कर) होगी

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने अधिसूचना सं. 21/2015- एसटी दिनांक 6 नवम्बर, 2015 के तहत सूचित किया है कि 15 नवम्बर, 2015 से सभी कर-योग्य सेवाओं पर स्वच्छ भारत (एसबी) उप-कर के रूप में 0.5 % की एक अतिरक्त वसूली की जाएगी। तदनुसार संस्थान ने सभी शुल्कों में इस परिवर्तन को शामिल कर लिया है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे सेवा कर में इस परिवर्तन को नोट कर लें तथा शुल्क का भुगतान दरों के अनुसार करें।

बैंकों, बैंकिंग संस्थानों और वित्तीय संस्थाओं के प्रशिक्षकों के लिए 5वां अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान 1ली से 6ठी फरवरी, 2016 तक बैंकों, बैंकिंग संस्थानों और वित्तीय संस्थाओं के प्रशिक्षकों के लिए लीडरशिप सेंटर, इंडियन इंस्टिटयूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस, कारपोरेट कार्यालय, मुंबई में 5वें अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।

परीक्षा के लिए दिशानिर्देशों / महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान द्वारा किसी कैलेंडर वर्ष के मई / जून माह के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में प्रश्नपत्र में समावेश के लिए विनियामक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों और बैंकिंग एव वित्त के क्षेत्र में केवल पिछले वर्ष की 31 दिसम्बर तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

संस्थान द्वारा किसी कैलेंडर वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर माह के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में प्रश्नपत्र में समावेश के लिए विनियामक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों और बैंकिंग एव वित्त के क्षेत्र में केवल पिछले वर्ष की 31 दिसम्बर तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों और अन्य स्रोतों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपनी वेब साइट पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।

आलेखों / प्रस्तावों हेतु आमंत्रण

संस्थान वर्ष 2015-16 के लिए सूक्ष्म आलेख / सूक्ष्म प्रस्ताव आमंत्रित करता है। आलेख / प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2016 है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।

हीरक जयंती और सी.एच. भाभा बैंकिंग विदेशी अनुसंधान एवं फेलोशिप (DJCHBBORF)

संस्थान वर्ष 2015-16 के लिए हीरक जयंती और सी.एच. भाभा बैंकिंग विदेशी अनुसंधान एवं फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेधन प्रस्तुत करने हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2016 है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।

नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये भेजने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 /1998 के अधीन पंजीकृत

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

7.4
7.2
7
6.8
6.6
6.4
6.2

02/11/2015 03/11/2015 07/11/2015 09/11/2015 13/11/2015 17/11/2015 19/11/2015 20/11/2015 24/11/2015 27/11/2015

स्त्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, नवम्बर, 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

110.00
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00

02/11/2015 04/11/2015 06/11/2015 09/11/2015 13/11/2015 17/11/2015 20/11/2015
24/11/2015 26/11/2015 30/11/2015

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (**RBI**)

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

26800
26600
26400
26200
26000
25800
25600
25400

02 नव..15 05 नव..15 09 नव..15 13 नव..15 17 नव. 15 18 नव. 15 19 नव. 15
24 नव. 15 26 नव..15 30 नव.15

स्त्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (**BSE**)

डॉ. जे. एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डॉ. जे. एन. मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा ऑनलुकर प्रेस, 16 सासून डॉक, कोलाबा, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II,, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. जे. एन. मिश्र

सेवा में

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न दिसम्बर, 2015